धारा 2 : परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) **"अनुयोज्य दावे"** का वही अर्थ होगा, जो सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 3 में उसका है;

(2) **"परिदान का पता"** से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है;

(3) **"अभिलेख पर पता"** से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो पूर्तिकार अभिलेखों में उपलब्ध है;

(4) **"न्यायनिर्णायक प्राधिकारी"** से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत [1]**[**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड**]**, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, [2]**[**राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण**]**, [3]**[**धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी**]** नहीं है;

(5) **"अभिकर्ता"** से फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडेरे एजेंट), किसी नीलामकर्ता या किसी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(6) **"सकल आवर्त"** से सभी कराधेय पूर्तियों (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट–प्राप्त पूर्तियों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और सामान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक पूर्तियों का अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाने वाला सकल मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं हैं;

(7) **"कृषक"** से ऐसा कोई व्यष्टि या कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो–

   (क) स्वयं के श्रम द्वारा; या

   (ख) कुटुम्ब के श्रम द्वारा; या

   (ग) व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुम्ब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या भाड़े के मजदूरों द्वारा, भूमि पर खेती करता है;

(8) **अपील प्राधिकारी"** से धारा 107 में, अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत यथा निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतः स्थापित। प्रभावशील तिथि अधिसूचित की जावेगी।

3 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

(9) **''अपील अधिकरण''** से धारा 109 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(10) **''नियत दिन''** से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(11) **''निर्धारण''** से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वनिर्धारण, पुनःनिर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण भी है;

(12) **''सहयुक्त उद्यमों''** का वही अर्थ होगा, जो आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92क में उसका है;

(13) **''संपरीक्षा''** से घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और उसके द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा अभिप्रेत है;

(14) **''प्राधिकृत बैंक''** से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है;

(15) **''प्राधिकृत प्रतिनिधि''** से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है;

(16) **''बोर्ड''** से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित [4]**[**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**]** अभिप्रेत है;

(17) **''कारबार''** में निम्नलिखित सम्मिलित है,–

(क) कोई व्यापार, वाणिज्यि, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पंद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल और सेवाओं सहित माल की पूर्ति या अर्जन;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या किसी ऐसे निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) सुविधाओं या फायदों की कोई व्यवस्था;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदान की गई सेवाएं;

---

4 वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 13) द्वारा ''केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 29.03.2018)।

(ज) [5][किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को उपलब्ध कराई गई सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं; और]

(झ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं;

(18) [6][.........];

(19) **''पूंजी माल''** से ऐसे माल अभिप्रेत हैं, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा बहियों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(20) **''नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जहां उसके कारबार का कोई नियत स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में यदाकदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है;

(21) **''केन्द्रीय कर''** से धारा 9 के अधीन उद्गृहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(22) **''उपकर''** का वही अर्थ होगा, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसका है;

(23) **''चार्टर्ड अकाउंटेंट''** से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है;

(24) **''आयुक्त''** से केन्द्रीय कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त एकीकृत कर आयुक्त भी है;

---

5 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा उपखंड (ज) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में बुक–मेकर की अनुज्ञप्ति**;** और''

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा उपधारा (18) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

विलोपन के पूर्व उपधारा (18) इस प्रकार थी:

''(18) **''कारबार शीर्षका''** से किसी उद्यम का ऐसा विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे व्यष्टिक, माल या सेवाओं या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के समूह की पूर्ति में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिमों और प्रत्यागमों के अध्यधीन है, जो अन्य कारबार शीर्षकाओं के जोखिमों और प्रत्यागमों से भिन्न है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं संबंधित हैं या नहीं, निम्नलिखित हैं–

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों का प्रकार या वर्ग;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के वितरण में प्रयुक्त पध्दतियां; और

(ड.) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं लागू है), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं है;''

(25) **"बोर्ड में का आयुक्त"** से धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;

(26) **"सामान्य पोर्टल"** से धारा 146 में निर्दिष्ट समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल अभिप्रेत है;

(27) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में **"सामान्य कार्य दिवसों"** से ऐसे आनुक्रमिक दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित नहीं किया गया है;

(28) **"कंपनी सचिव"** से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है;

(29) **"सक्षम प्राधिकारी"** से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(30) **"संयुक्त पूर्ति"** से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की गई कोई पूर्ति अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय पूर्तियों से मिलकर बनी है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और उनकी पूर्ति प्रदाय की गई है, जिनमें एक मूल पुर्ति है;

दृष्टांत. – जहां माल को पैक और बीमा के साथ उसका परिवहन किया जाता है, वहां माल की पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति है और माल की पूर्ति एक मुख्य पूर्ति होगी;

(31) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में **"प्रतिफल"** के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,–

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनकी उत्प्रेरणा के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनकी उत्प्रेरणा के लिए, किसी कार्य या प्रविरति का धनीय मूल्य, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी;

परंतु माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसी पूर्ति के लिए किए गए संदाय के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त पूर्ति के लिये प्रतिफल के रूप में उपयोजन नहीं करता है;

(32) **"माल की निरंतर पूर्ति"** से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल की पूर्ति भी है जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट करे;

(33) **"सेवाओं की निरंतर पूर्ति"** से सेवाओं की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए

निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट करे;

(34) **''प्रवहरण''** के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;

(35) **''लागत लेखापाल''** से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के [7]**[**खंड (ख)**]** में यथा परिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(36) **''परिषद्''** से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(37) **''जमा पत्र''** से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(38) **''नामे नोट''** से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(39) **''समझा गया निर्यात''** से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(40) **''अभिहित प्राधिकारी''** से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(41) **''दस्तावेज''** के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित इलैक्ट्रोनिक अभिलेख भी है;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में **''चुंगी वापसी''** से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित इनपुटों पर या किसी देशी इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(43) **''इलैक्ट्रोनिक नकद खाते''** से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(44) **''इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य''** से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलैक्ट्रोनिक नेटवर्क पर के डिजिटल उत्पाद भी है;

(45) **''इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक''** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यि के लिए किसी डिजिटल या इलैक्ट्रोनिक सुविधा या प्लैटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

(46) **''इलैक्ट्रोनिक जमा खाते''** से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक जमा खाता अभिप्रेत है;

(47) **''छूट–प्राप्त पूर्ति''** से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिस पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 या धारा 11 के अधीन कर की दर शून्य हो या जो कर से पूर्णतया छूट–प्राप्त हो इसके अंतर्गत गैर–कराधेय पूर्ति भी है;

(48) **''विद्यमान विधि''** से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले संसद् या ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम

---

7 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''खंड (ग)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसकों दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

बनाने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है;

(49) **''कुटुंब''** से अभिप्रेत है:–
  (i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक; और
  (ii) व्यक्ति के माता–पिता, पितामह–पितामही, मातामह–मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है;

(50) **''स्थिर स्थापन''** से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(51) **''निधि''** से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(52) **''माल''** से धन और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हो, जिन्हें पूर्ति के पूर्व या पूर्ति की संविदा के अधीन पृथक किया जाना तय पाया गया है;

(53) **''सरकार''** से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(54) **''माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम''** से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(55) **''माल और सेवा कर व्यवसायी''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;

(56) **''भारत''** से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर–खंड, सागर तल, राज्यक्षेत्रीय सागर–खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में यथा निर्दिष्ट ऐसे सागर–खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे की अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर–खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(57) **''एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम''** से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(58) **''एकीकृत कर''** से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(59) **''इनपुट''** से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;

(60) **''इनपुट सेवा''** से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(61) [8]**[''इनपुट सेवा वितरक''** से माल या सेवाओं या दोनो के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अतर्गत [9]**[**इस अधिनियम की धारा 9 की

---

8 वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 08), दिनांक 15.02.2023 द्वारा उपधारा (61) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 16/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.08.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

''(61) **''इनपुट सेवा वितरक''** से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे

उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन**]** कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति मे ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;**]**

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में **''इनपुट कर''** से उसे की गई माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर प्रभारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,–

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(घ) संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ड.) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किन्तु इसमें प्रशमन उद्ग्रहण के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

(63) **''इनपुट कर प्रत्यय''** से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(64) **''माल की राज्य के भीतर पूर्ति''** का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;

(65) **''सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति''** का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;

(66) **''बीजक''** या ''**कर बीजक**'' से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में **''आवक पूर्ति''** से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है;

(68) **''जॉब कार्य''** से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और ''जॉब कर्मकार'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(69) **''स्थानीय प्राधिकारी''** से निम्न अभिप्रेत हैं,–

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड.) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो [10][नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि] का नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए विधिक रूप से हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य

पूर्तिकार को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;''

9 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''धारा 9'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार लिया गया है।

10 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''नगरपालिका या स्थानीय निधि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

सरकार द्वारा *[नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि] का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;

[11][**स्पष्टीकरण**– इस उप–खण्ड के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ''स्थानीय निधि'' से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए, और किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;

(ख) ''नगरपालिका निधि'' से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;]

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड;

(ड.) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद्;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 [12][और अनुच्छेद 371ञ] के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद्;

(70) **''सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान''** से,–

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (स्थिर स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, वहां पूर्ति की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(71) **''सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान''** से,–

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

---

* वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''नगरपालिका या स्थानीय निधि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

11 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

12 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीककरण अभिप्राप्त किया गया है (स्थिर स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों से की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में पूर्तिकार के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(72) **''विनिर्माण''** से कच्ची सामग्री या इनपुटों का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का आविर्भाव होता है और ''विनिर्माता'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(73) **''बाजार मूल्य''** से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आस–पास और जहां प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकार संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है;

(74) **''मिश्रित पूर्ति''** से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं की या उसके किसी ऐसे समुच्चय की, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्–पृथक् पूर्तियां अभिप्रेत हैं, जहां ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति गठित नहीं होती है;

दृष्टांत – डिब्बा बंद खाद्य पदार्थो, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाये गये पैकेज की पूर्ति, जब वह किसी एकल कीमत के लिए की गई है, तो वह पूर्ति मिश्रित पूर्ति होगी। इन मदों में से प्रत्येक मद की अलग–अलग भी पूर्ति की जा सकती है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगी। यदि इन मदों की अलग–अलग पूर्ति की जाती है तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगी;

(75) **''धन''** से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चेक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चेक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रोनिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखित अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किन्तु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसे उसके मुद्रा विषयक मूल्य के लिए धारित किया जाता है;

(76) **''मोटर यान''** का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में उसका है;

(77) **''अनिवासी कराधेय व्यक्ति''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदाकदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है, किन्तु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है;

(78) **''गैर–कराधेय प्रदाय''** से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(79) **''गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र''** से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है;

(80) **''अधिसूचना''** से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' और ''अधिसूचित'' पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

[13]**[(80क)** **"आनलाइन गेम खेलना"** से इंटरनेट या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख) **"आनलाइन धनीय गेम खेलना"** से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तिया भी है चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;**]**

(81) **''अन्य राज्यक्षेत्र''** में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ड.) में निर्दिष्ट हैं;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में **''आउटपुट कर''** से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को सम्मिलित नहीं है;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में **''जावक प्रदाय''** से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, चाहे वह विक्रय, अंतरण, वस्तु–विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से की गई हो;

(84) **''व्यक्ति''** के अंतर्गत निम्नलिखित हैं–

(क) कोई व्यष्टि;
(ख) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब;
(ग) कोई कंपनी;
(घ) कोई फर्म;
(ड) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;
(च) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;
(छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी;
(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय;
(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;
(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी;
(ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;
(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी;
(ड़) न्यास; और
(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी के अंतर्गत नहीं आता है;

---

13 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 30), दिनांक 18.08.2023 द्वारा उपधारा (80क) एवं (80ख) अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 48/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

(85) **''कारबार के स्थान''** के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,–

(क) वह स्थान, जहां से सामान्य रूप से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है या प्राप्त करता है; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा बहियों को अनुरक्षित रखता है; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है;

(86) **''पूर्ति का स्थान''** से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथा निर्दिष्ट पूर्ति का स्थान अभिप्रेत है;

(87) **''विहित''** से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(88) **''प्रधान''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(89) **''कारबार का प्रधान स्थान''** से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के प्रधान स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;

(90) **''मूल पूर्ति''** से ऐसे माल या सेवाओं का पूर्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त पूर्ति के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त पूर्ति के भागरूप कोई अन्य पूर्ति आनुषंगिक है;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में **''उचित अधिकारी''** से केन्द्रीय कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड के आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;

(92) **''तिमाही''** से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैण्डर मास समाविष्ट हों;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के **''पूर्तिकार''** से,–

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल की पूर्ति की गई है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या माल को उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है;

(ग) जहां किसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं;

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे पूर्ति की गई है, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा।

(94) **''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(95) **''विनिमय''** से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए विनिमय अभिप्रेत हैं;

(96) माल के संबंध में **''हटाए जाने''** से,–

(क) उसके पूर्तिकार द्वारा या ऐसे पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;

(97) ''**विवरणी**'' से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए विहित या अन्यथा अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत है;

(98) ''**प्रतिलोम प्रभार**'' से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार की बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;

(99) ''**पुनरीक्षण प्राधिकारी**'' से धारा 108 में यथा निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या [14]प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(100) ''**अनुसूची**'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(101) ''**प्रतिभूति**'' का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है;

(102) ''**सेवाओं**'' से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य पद्धति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;

[15]**[स्पष्टीकरणः** शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ''सेवा'' पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है।**]**

[16]**[**(102क) **"विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे"** से,–

(i) दांव लगाने;

(ii) कैसिनो;

(iii) द्वयूतक्रीड़ा;

(iv) घुडदौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।**]**

(103) ''**राज्य**'' में विधान–मण्डल वाला संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है;

(104) ''**राज्य कर**'' से किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत कर अभिप्रेत है;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ''**पूर्तिकार**'' से उक्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकार की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

---

14 **अधिसूचना क्रमांक 05/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.01.2020** देखिए। प्रधान आयुक्त, आयुक्त अपर या संयुक्त आयुक्त का प्राधिकरण

15 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

16 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 30), दिनांक 18.08.2023 द्वारा उपधारा (102क) अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 48/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

[17]**[परंतु** कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हो और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति मे उसको दिए जाते है, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो।**]**

(106) **''कर अवधि''** से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है;

(107) **''कराधेय व्यक्ति''** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है;

(108) **''कराधेय पूर्ति''** से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;

(109) **''कराधेय राज्यक्षेत्र''** से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं;

(110) **''दूर–संचार सेवा''** से किसी वर्णन की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टैक्स्ट सर्विस, वीडियो टैक्स्ट सर्विस, रेडियो पैजिंग और सेल्युलर मोबाईल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति, और ध्वनि के पारेषण या प्रापण या किसी प्रकृति की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रोमैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(111) **''राज्य माल और सेवा कर अधिनियम''** से संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(112) **''राज्य में के आवर्त''** या **''संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त''** से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर की गई (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय पूर्तियों और छूट–प्राप्त पूर्तियों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से की गई माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं हैं;

(113) **''प्रायिक निवास स्थान''** से,–

(क) किसी व्यष्टि की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह व्यक्ति निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है;

(114) **''संघ राज्यक्षेत्र''** से–

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह;

(ख) लक्षद्वीप;

---

17 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 30), दिनांक 18.08.2023 द्वारा परंतुक अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 48/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

[18]**[(ग)** दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव;

(घ) लद्दाख;**]**

(ड.) चंडीगढ़; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण : इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा;

(115) ''**संघ राज्यक्षेत्र कर**'' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(116) ''**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम**'' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

[19]**[(116क) ''विशिष्ट पहचान चिह्नांकन''** से धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है;**]**

(117) ''**विधिमान्य विवरणी**'' से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वः निर्धारित कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;

[20]**[(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति"** का वही अर्थ होगा, जो आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है;**]**

(118) ''**वाऊचर**'' से कोई ऐसी लिखित अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां पूर्ति किया जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी पूर्तिकार की पहचान या तो लिखित पर ही उपदर्शित है या संबंधित दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, जिसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं;

(119) ''**कार्य संविदा**'' से जहां किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपान्तरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी संविदा के निष्पादन में माल में संपत्ति का (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) अंतरण अंतर्वलित है;

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं;

(121) [21][......]

---

18 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा खंड (ग) और (घ) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः
''**(ग)** दादरा और नागर हवेली;
(घ) दमन और दीव;''

19 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा खंड (116क) अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

20 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 30), दिनांक 18.08.2023 द्वारा उपधारा (117क) अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 48/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

21 जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन (केन्द्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 द्वारा विलोपित, (प्रभावशील दिनांक 18.03.2020)।